



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2028]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2015/भाद्र 30, 1937

No. 2028]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2015/BHADRA 30, 1937

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2015

का.आ. 2576(अ).—सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ.1643(अ), का अधिक्रमण करते हुए, केंद्र सरकार इस पक्ष में सलाहकार समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के उपरांत विनिर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इस अधिसूचना के साथ अनुबंध-1 के रूप में संलग्न फार्म में उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करेगा और उद्योग आधार ज्ञापन फाइलिंग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा अर्थात्: -

- (1) उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा;
- (2) उद्योग आधार ज्ञापन प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित <http://udyogaadhar.gov.in>, उद्योग आधार पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल किया जाएगा लेकिन अपवादिक मामलों में जहाँ किसी कारण से ऑनलाइन फाइलिंग संभव नहीं है, वहाँ विधिवत् भरे

गए अनुबंध-1 के रूप में फार्म की हार्ड प्रति संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत की जाए जो ऐसे उद्यम की ओर से उद्योग आधार ज्ञापन ऑनलाइन फाइल करेगा;

- (3) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुबंध-2 के अनुसार उद्योग आधार पावती सृजित की जाएगी और उद्योग आधार ज्ञापन में दिए गए ई-मेल पते पर मेल कर दिया जाएगा जिसमें विशिष्ट उद्योग आधार संख्या होगी;
- (4) मौजूदा उद्यम जिन्होंने उद्यमिता ज्ञापन-I अथवा उद्यमिता ज्ञापन-II अथवा दोनों फाइल कर दिए हैं अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के लागू होने से पहले लघु उद्योग पंजीकरण धारकों को उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने की जरूरत नहीं होगी लेकिन यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो वे भी उद्योग आधार ज्ञापन फाइल कर सकते हैं;
- (5) उद्योग आधार ज्ञापन में स्वामित्व उद्यम के मामले में प्रबंध साझेदार, साझेदारी उद्यम के मामले में प्राधिकृत साझेदार प्राधिकृत व्यक्ति, तथा उद्यमों के अन्य रूपों के मामले में आधार संख्या होगी;
- (6) एक ही आधार संख्या का प्रयोग कर एक से अधिक उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा;
- (7) उद्योग आधार ज्ञापन स्वघोषणा के आधार पर फाइल किया जाएगा और उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करते समय कोई समर्थन में दस्तावेज अपलोड किया जाना अथवा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसे प्राधिकृत किया जाए, जहां आवश्यक हो, उद्योग आधार ज्ञापन में दी गई सूचना के दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है।

[फा. सं. ए-54/1/2014-सीडीएन]

सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर सचिव

अनुबंध-1

 भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय Government of India Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (An ISO 9001:2008 Certified Organization)	 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
उद्योग आधार 	Udyog Aadhaar

उद्यम का प्रकार	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
वित्तियोग	क	ख	ग
सेवा	घ	ङ	च

उद्योग आधार जापन

1	आधार संख्या				
2	उद्यमी का नाम				
3	सामाजिक श्रेणी	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
4	उद्यम का नाम				
5	संगठन का प्रकार *				
6	डाक का पता				
		जिला	राज्य	पिन	
		मोबाइल नं.:			ईमेल:
7	आरंभ करने की तारीख				
8	पूर्व पंजीकरण का ब्योरा, यदि कोई हो	एसएसआई			
		ईएम-1			
		ईएम-2			
9	बैंक विवरण	आईएफएस कोड:			
		बैंक खाता:			
10	प्रमुख गतिविधि	बिनिर्माण			सेवा
11	राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण कोड				
12	नियोजित व्यक्ति				
13	निवेश (संयंत्र/मशीनरी/उपकरण)				
14	जिला उद्योग केन्द्र				
घोषणा मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सही है। कोई सूचना जिसको सत्यापित किया जाना अपेक्षित हो, उसे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। *(1) स्वामित्व, (2) हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), (3) साझेदारी, (4) सहकारी, (5) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, (6) सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, (7) स्व सहायता समूह, (8) अन्य					

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2015

S.O. 2576(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of the notification number S.O. 1643(E), dated the 29th September, 2006, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 30th September, 2006, the Central Government, after obtaining the recommendations of the Advisory Committee in this behalf, specifies that every micro, small and medium enterprise shall file Udyog Aadhaar Memorandum in the form appended to this notification as Annexure-1 and follow the following procedure for filing the Udyog Aadhaar Memorandum, namely:—

- (1) There shall be no fee for filing the Udyog Aadhaar Memorandum;
- (2) Udyog Aadhaar Memorandum shall be filed online at <http://udyogaadhaar.gov.in>, the Udyog Aadhaar Portal maintained by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, by every micro, small and medium enterprise, but in exceptional cases where online filing is not possible for any reasons, a hard copy of the form as in Annexure 1, duly filled in may be submitted to the concerned District Industry Center which shall file the Udyog Aadhaar Memorandum online, on the behalf of such enterprise;
- (3) Udyog Aadhaar Acknowledgement as per Annexure 2 appended to this notification, shall be generated and mailed to the email address provided in the Udyog Aadhaar Memorandum which shall contain unique Udyog Aadhaar Number;
- (4) existing enterprises, which have filed Entrepreneurship Memorandum-I or Entrepreneurship Memorandum-II or both, or the holders of Small Scale Industry registration, prior to the coming into force of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall not be required to file Udyog Aadhaar Memorandum, but if they so desire, they may also file the Udyog Aadhaar Memorandum;
- (5) in the Udyog Aadhaar Memorandum, the Aadhaar Number shall be of the managing partner, in case of proprietary enterprise, of the authorized partner, in case of partnership enterprise, and of the authorised person, in case of other forms of enterprises;
- (6) there shall be no restriction on filing more than one Udyog Aadhaar Memorandum using the same Aadhaar Number;
- (7) the Udyog Aadhaar Memorandum shall be filed on self-declaration basis, and no supporting document is required to be uploaded or submitted while filing the Udyog Aadhaar Memorandum, but the Central Government or the State Government or such person as may be authorized in this behalf may seek documentary proof of information provided in the Udyog Aadhaar Memorandum, wherever necessary.

[F. No. A-54/1/2014-CDN]

SURENDRA NATH TRIPATHI, Addl. Secy.

4011 57152

Annexure 1

	भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय Government of India Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (An ISO 9001:2008 Certified Organization)	
उद्योग आधार		Udyog Aadhaar

Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
Manufacturing	A	B	C
Service	D	E	F

Udyog Aadhaar Memorandum

1	Aadhaar Number			
2	Name of Entrepreneur			
3	Social Category	SC	ST	OBC
4	Name of Enterprise	General		
5	Type of Organization *			
6	Postal Address			
		District	State	Pin
		Mobile No:	Email:	
7	Date of commencement			
8	Previous Registration details-if any	SSI		
		EM-1		
		EM-2		
9	Bank Details	IFS Code:		
		Bank Account:		
10	Major Activity	Manufacturing	Service	
11	National Industry Classification Code			
12	Persons employed			
13	Investment (Plant & Machinery / Equipment's)			
14	District Industry Centre			
Declaration I hereby declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information, that may be required to be verified, shall be provided immediately before the concerned authority.				
*(1) Proprietary, (2) Hindu Undivided Family (HUF), (3) Partnership, (4) Co-Operative, (5) Private Limited Company, (6) Public Limited Company, (7) Self Help Group, (8) Others				

